

29/2024

तारीखरज- 5/6/24

उपनाम- रामअवतार बनाम बाबूलाल
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
फर्द अहकाम

5/24

प्रार्थी की ओर से श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से प्राबन्ध किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडामीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडामीम से बाहर के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 15.07.2024 को पेश हो।

(5)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडामीम जिला गंगपुर सिटी

57/24

फावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित
अप्रार्थीगण के नोटिस तारीख दी गई। प्रार्थी
नहीं हुए। वास्ते तलबी नोटिस तलबी
दिनांक 30-7-24 को पेश हो।

(5)

30/24

फावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित।
अप्रार्थी नं 34 उपस्थित। एवं अप्रार्थी नं 1, 2 के
पुनः नोटिस पेश पेश करने के लिए प्रार्थी वकील
को डिमाण्ड दी गई। वास्ते तलबी दिनांक 14-8-24
को पेश हो।

(5)

4

फावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित
अप्रार्थी वकील के अप्रार्थी नं 1, 2 के पुनः नोटिस
सही पत्रे पर पेश किये की डिमाण्ड दी गई।
वास्ते तलबी दिनांक 11-9-24 को पेश हो।

11-9-24

(5)



गण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

फर्द अहकाम

दी प्रतीति (करीब) काय रोज जपसिद्धा
ठारोत आधिकारिक साक्षरणी के वाडोली पन्थो (के)
आधारी पतापुत्र नमो...
नो पत्र... 21-11-25

पतापत्र केवा डूरी प्रानी कुव प्रानी वसीर
नही भी उपस्थित नही हुका। चार बार
आवाजा देखाही नही हुके उपस्थित की
नही भी उपस्थित नही हुका। हुमाके प्रानी
का प्रापेनापत्र नमो... निवेद्याडा प्रानी
उप प्रानी वसीर की नमो... केवा डूरी
डाखी के शरदीज केवा डूरी
पतापत्र केवा डूरी नमो...
कम कर डाखी डूरी